



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072025-264535  
CG-DL-E-11072025-264535

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 419]  
No. 419]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 462(अ).— केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (मेक इन इंडिया की 10 वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्के का मूल्यवर्ग.— मेक इन इंडिया की 10 वीं वर्षगांठ के अवसर पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टक्साल में मूल्य एक सौ रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा।

3. सिक्के की विमाएं और संरचना.- नियम 2 में उल्लिखित मूल्य वर्ग के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात्:-

सिक्के का मूल्यवर्ग	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	चतुर्थक मिश्र धातु चांदी -50 प्रतिशत तांबा -40 प्रतिशत निकिल-05 प्रतिशत जस्ता -05 प्रतिशत

4. डिज़ाइन.- सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार.- मेक इन इंडिया की 10वीं वर्षगांठ के अवसर को मनाने के लिए नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्य वर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

पहली अनुसूची  
(नियम 4 देखें)

एक सौ रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “100” भी होगा।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में उभरी हुई एक शेर की छवि होगी, जिसके चारों ओर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी को दर्शनि वाले आठ रंगीन चिह्न होंगे। सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में “मेक इन इंडिया की 10वीं वर्षगांठ” लिखा होगा। सिक्के की निचली परिधि पर अंग्रेजी में “10<sup>TH</sup> ANNIVERSARY OF MAKE IN INDIA” लिखा होगा। उभरी हुई शेर की छवि के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में वर्ष “2025” अंकित होगा।

**दूसरी अनुसूची**  
(नियम 5 देखें)

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	35 ग्राम	चांदी के लिए 1/500वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् चांदी का अंश प्रति 1000 में 498 से 502 के बीच हो सकेगा।	1/100वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् वजन 34.65 से 35.35 ग्राम तक हो सकता है।

[फा. सं. 02/26/2024- सिक्का]

अपणा भाटिया, सलाहकार

**MINISTRY OF FINANCE**  
(Department of Economics Affairs)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th July, 2025

**G.S.R. 462(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of 10<sup>TH</sup> Anniversary of Make In India) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Denomination of coin.**— The coin of One Hundred Rupees denomination shall only be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate on the occasion of 10<sup>TH</sup> Anniversary of Make In India.

**3. Dimension and composition of coin.** - The denomination of the coin mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

Denomination of coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One hundred Rupees	Circular 44 millimeters	200	Quaternary Alloy Silver - 50 per cent. Copper - 40 per cent. Nickel - 05 per cent. Zinc - 05 per cent.

**4. Design.**- The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

**5. Standard weight and remedy allowed.** - The standard weight of the coin of denomination referred in rule 2 shall be coined to commemorate the occasion of 10<sup>TH</sup> Anniversary of Make In India and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

**FIRST SCHEDULE**

[See rule 4]

**ONE HUNDRED RUPEES****OBVERSE:**

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagri script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “100” in the international numerals below the Lion Capitol.

**REVERSE:**

The face of the coin shall feature an image of a ‘Lion’ in relief at the center, surrounded by eight colored icons representing science, technology, agriculture and computer technology. The inscription “मेक इन इंडिया की 10वीं वर्षगांठ” will be written in Devanagari script along the upper periphery of the coin, while the inscription “10<sup>TH</sup> ANNIVERSARY OF MAKE IN INDIA” in English shall be depicted on the lower periphery of the coin. The year “2025” in international numerals shall be written below the image of the Lion.

**SECOND SCHED**

[See rule 5]

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One hundred Rupees	35 Grams	1/500 <sup>th</sup> plus or minus for Silver, that is to say the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100 <sup>th</sup> plus or minus, that is to say weight could be 34.65 grams to 35.35 grams.

[F. No. 02/26/2024-Coin]

APARNA BHATIA, Adviser